

231



जिला- श्योपुर

समक्ष:- न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क. /17 निगरानी

R 403- I-17

श्री सुरेश लुखवाडे  
द्वारा आज दि 24.02.17 को  
प्रस्तुत

सुरेश लुखवाडे  
द्वारा आज दि 24.02.17 को  
प्रस्तुत

हाफिज शरीफ मोहम्मद खॉन पुत्र गफूर  
मोहम्मद खॉन उम्र 57 साल जाति  
मुसलमान व्यवसाय वकालत निवासी  
कागजी टोड़ी श्योपुर म.प्र.

....निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

दिलदार पुत्र मुनीर खॉ निवासी शीतला  
पाड़ा श्योपुर म.प्र.

....प्रत्यर्था / अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता 1959 विच्छेद  
न्यायालय एस.डी.ओ. श्योपुर के प्र.क. 200/11-12 बी 121 ।  
दिलदार बनाम हाफिज शरीफ मोहम्मद खॉन मे पारित आदेश  
दिनांक 14.02.17 के एवं आदेश पत्रिका दिनांक 11.02.13 के  
पालन मे लम्बित आवेदन दिनांक 30.10.12 के निराकरण हेतु  
आदेश प्रदान करने बाबत ।

मान्यवर महोदय

प्रकरण के सक्षित तथ्य इस प्रकार है कि म.प्र.नगरीय क्षेत्रों  
के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टा धृति अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम  
1984) के अन्तर्गत निगरानीकर्ता आवेदक को वर्ष 1998 में आवासीय पट्टा  
प्रदान किया गया था जिसके 14 वर्ष पश्चात 22.3.12 को अनावेदक ने  
आवेदक का पट्टा निरस्ती हेतु अधिनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. के समक्ष  
आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर आवेदक निगरानीकर्ता ने दिनांक 30.10.12

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.703/एक/2017

जिला श्योपुर

हाफिज शरीफ मोहम्मद विरुद्ध दिलदार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 200/2011-12 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0 के0 जैन) सदस्य</p>